दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

रि.या.(सि) 1290/2014 और सि.वि.आ. 3834/2014

निर्णीत तिथि: 20.03.2014

के मामले में

भुले बिसरे कलाकर सहकारी औद्योगिक प्रोडक्शन सोसाइटी लिमिटेड
व अन्य .....याचिकाकर्तागण

के माध्यम से: सुश्री नित्या रामकृष्णन, अधिवक्ता के साथ अधिवक्तागण श्री सरीम नावेद और सुश्री रिया सिंह

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

के माध्यम से: के.स.स्था.अधि. श्री नीरज चौधरी के साथ प्र-1/भारत संघ के लिए अधिवक्ता श्री रौज्योत सिंह।
प्र-2/दि.वि.प्रा. के लिए अधिवक्ता श्री राजीव बंसल।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नीरज किशन कौल के साथ प्र-3 के लिए अधिवक्ता श्री शलभ सिंघल।

कोरम
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री हिमा कोहली

<u>न्या.सुश्री हिमा कोहली.</u> (***<u>मौखिक</u>***)

1. वर्तमान याचिका अट्ठाईस याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता सं. 1/सोसायटी भी शामिल है, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* यह प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थी सं. 2/दि.वि.प्रा. को उन्हें बेदखल करने या प्रत्यर्थी सं. 3/विकासकर्ता को शादीपुर, दिल्ली के सामने कठपुतली कॉलोनी के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में किसी भी भवन परियोजना में शामिल होने से रोका जाए, और इसके अलावा प्रत्यर्थी सं. 2/दि.वि.प्रा को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के निर्देश जारी किए जाएं (सि.वि.आ.3834/2014 के साथ संलग्न अनुलग्नक पी-18 से पी-20)।

2. याचिकाकर्ताओं की विद्वान अधिवक्ता सुश्री नित्या रामकृष्णन ने कहा कि याचिकाकर्ता शिल्पकार, कलाकार और कारीगर हैं जो पिछले कई दशकों से कठपुतली कॉलोनी में रह रहे हैं। याचिकाकर्तागण प्रत्यर्थी सं. 2/दि.वि.प्रा. द्वारा वर्ष 2008 में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत 2800 आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए कठपुतली कॉलोनी में 5.22 हेक्टेयर भूमि के एक हिस्से पर शुरू की गई *इन-सीटू* स्लम विकास परियोजना से व्यथित हैं, जिसमें दिनांक 04.09.2009 को प्रत्यर्थी सं. 3 के साथ परियोजना विकास समझौता किया गया था, जिसके तहत विषयगत

भूमि पर निर्माण शुरू करने के लिए काम शुरू होने की सूचना की तिथि से दो साल की समय-सीमा दी गई थी।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि उक्त समझौते को निष्पादित करने के बाद, प्रत्यर्थी सं. 2/दि.वि.प्रा. ने कॉलोनी में घरों की संख्या की पहचान करने के लिए क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था, लेकिन इसके द्वारा तैयार की गई अंतिम सूची न तो उनकी वेबसाइट पर डाली गई, न ही इसे किसी सार्वजनिक सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया और उक्त सर्वेक्षण करने का आधार भी स्पष्ट नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, कुछ वास्तविक परिवार ऐसे हैं, जिनके नाम अंतिम सूची से बाहर रह गए हैं और यदि उन्हें वर्तमान बस्ती से हटा दिया गया, तो वे और उनके परिवार बेघर हो जाएंगे।

4. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा उठाई गई दूसरी शिकायत यह है कि कठपुतली कॉलोनी में मिश्रित उपयोग विकास के उद्देश्य से खाका योजना को अंतिम रूप देते समय, प्रत्यर्थी सं. 2/दि.प्र.प्रा. और प्रत्यर्थी सं. 3/विकासकर्ता ने क्षेत्र के निवासियों की जरूरतों को ध्यान में नहीं रखा, जिनकी उनके द्वारा किए जाने वाले व्यवसायों की प्रकृति के मद्देनजर विशिष्ट आवश्यकताएं हैं जिनमें कठपुतली दिखाना, संगीत का अभ्यास करना, बुनाई और अन्य प्रदर्शन कलाएं आदि शामिल हैं, जिनके लिए विशेष कौशल और असामान्य उपकरणों और यंत्र की

आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने प्रत्यर्थी सं. 2/दि.वि.प्रा. को उपरोक्त पंक्तियों पर अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे, लेकिन उन पर विचार नहीं किया गया। उपर्युक्त दलील को पुष्ट करने के लिए, विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान सि.वि.आ. 3834/2014 के साथ संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ 92 और 93 की ओर आकर्षित किया।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि याचिकाकर्ता किसी भी तरह से विकास परियोजना में बाधा डालने का इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन वे केवल यह आश्वासन चाहते हैं कि परियोजना को इस तरह से क्रियान्वित किया जाए कि उन्हें अपने व्यवसाय की अनूठी प्रकृति को अपनाने और आजीविका कमाने के लिए अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जा सके। उसने कहा कि यदि याचिकाकर्ताओं को आम सुविधाओं, बहुउद्देशीय हॉल, ऑडिटोरियम और अन्य उपयोगिताओं के संदर्भ में प्रश्नगत क्षेत्र के प्रस्तावित विकास के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है, तो इससे उनके और क्षेत्र के अन्य निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में काफी मदद मिलेगी, इस शर्त पर कि प्रस्तावित खाका योजना (जिसकी एक प्रति प्रत्यर्थी सं. 2/दि.वि.प्रा. के अधिवक्ता द्वारा याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को सौंप दी गई है) दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में निर्धारित विकास मानदंडों का

पालन करता है। हालांकि, पूछताछ करने पर, विद्वान अधिवक्ता ने माना कि वर्तमान याचिका दायर करने से पहले, याचिकाकर्ताओं ने सक्षम प्राधिकारी को ऐसा कोई अभिवेदन नहीं किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शिकायत की गई हो कि प्रत्यर्थी सं. 2/दि.वि.प्रा. और प्रत्यर्थी सं. 3/विकासकर्ता ने दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में निर्धारित विकास मानदंडों या क्षेत्र के खाका प्लान से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त आधार पर अभ्यावेदन देने की अनुमति दी जाए तथा प्रत्यर्थी सं. 2/दि.वि.प्रा. को कानून के अनुसार उस पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।

6. अंत में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उनके द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, प्रत्यर्थी सं. 2/दि.वि.प्रा. ने हाल ही में अपनी वेबसाइट पर उन पहचान किए गए परिवारों के नाम प्रदर्शित किए हैं, जो कॉलोनी में विकास कार्य समाप्त होने के बाद *इन सीटू* पुनर्वास के लिए पात्र पाए गए हैं और समस्या के समाप्त होने पर, वे प्रत्यर्थी सं. 3/विकासकर्ता द्वारा आनंद पर्वत पर स्थापित शरणार्थी शिविर में स्थानांतरित होने के हकदार होंगे। उसने कहा कि जिन वास्तविक परिवारों के नाम सूची से बाहर रह गए हैं और इस संबंध में उनकी वास्तविक शिकायत है, उन्हें प्रत्यर्थी सं. 2/दि.वि.प्रा. को अभ्यावेदन देने की

अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि यदि वे पात्र पाए जाएं तो उनके नाम दि.वि.प्रा. द्वारा तैयार की गई अंतिम सूची में शामिल किए जा सकें।

7. सर्वप्रथम, प्रत्यर्थी सं. 2/दि.वि.प्रा. के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव बंसल और प्रत्यर्थी सं. 3/विकासकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एन.के. कौल ने वर्तमान याचिका की स्थिरता को चुनौती दी और कहा कि पक्षकारों के ज्ञापन के क्रम सं. 2 से 28 में याचिकाकर्ता के रूप में सूचीबद्ध सभी व्यक्तियों के नाम पहले ही प्रत्यर्थी सं. 2/दि.वि.प्रा. द्वारा तैयार की गई पात्र परिवारों की सूची में शामिल किए जा चुके हैं और इसलिए, उन्हें कोई शिकायत नहीं हो सकती कि उनके नाम अंतिम सूची से बाहर कर दिए गए हैं। उनका तर्क है कि वास्तव में कुछ निहित स्वार्थ हैं जिन्हें वर्तमान याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका की आड़ में प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो कि अन्य निवासियों को शरणार्थी शिविर में जाने से रोकने का एक प्रयास मात्र है, जिसका याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने पुरजोर विरोध किया है।

8. प्रत्यर्थी सं. 2/दि.वि.प्रा. के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि जहां तक वास्तविक परिवारों के नाम छूट जाने के संबंध में उठाए गए मुद्दे का सवाल है, दि.वि.प्रा. ऐसे पीड़ित व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त करने के लिए तैयार है, ताकि कानून के अनुसार उनकी शिकायत का निवारण किया जा सके। उसने कहा कि

दि.वि.प्रा., क्षेत्र में तथा अपनी वेबसाइट पर एक सार्वजनिक नोटिस प्रदर्शित करने के लिए तैयार है, जिसमें ऐसे आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज तथा ऐसे अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की समय-सीमा बताई जाएगी, ताकि उनके मामलों पर विचार किया जा सके तथा कानून के अनुसार उनका निपटान किया जा सके। उसने कहा कि दि.वि.प्रा अपने मुख्यालय में अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत करने में निवासियों द्वारा सामना की जाने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के लिए तैयार है और समय बचाने के लिए, निदेशक स्तर के एक नोडल अधिकारी, जिसका अस्थायी कार्यालय पहले से ही निर्माण स्थल पर स्थापित किया गया है, कॉलोनी में नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक नोटिस प्रदर्शित करेगा और कानून के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा संसाधित और निर्णय लेने के लिए वहां पर ही उनके अभ्यावेदन प्राप्त करेगा।

9. प्रत्यर्थी सं. 2/दि.वि.प्रा. के विद्वान अधिवक्ता ने दूसरे पक्ष द्वारा किए गए इस दावे का खंडन किया कि कॉलोनी के निवासियों को कॉलोनी छोड़ने के बाद बेघर हो जाने का भय सता रहा है तथा उनके वापस लौटने की कोई निश्चितता नहीं है। उन्होंने पात्र घर के मालिकों को शरणार्थी शिविर में स्थानांतरित करने तथा पुनर्निर्मित कठपुतली कॉलोनी में आवास इकाई के आबंटन के लिए उनके साथ निष्पादित किए गए समझौते की प्रति सहित दस्तावेजों का एक सेट सौंपा

तथा कहा कि सभी पात्र व्यक्ति उक्त उद्देश्य के लिए प्रत्यर्थी सं. 2/दि.वि.प्रा. तथा प्रत्यर्थी सं. 3/विकासकर्ता के साथ त्रिपक्षीय समझौता करेंगे तथा चूंकि यह सार्वजनिक/निजी भागीदारी के आधार पर दि.वि.प्रा. द्वारा शुरू की गई पहली इन सीतू बस्ती विकास परियोजना है, इसलिए इसे सुचारू रूप से तथा शीघ्रता से क्रियान्वित करने के लिए हरसंभव सावधानी बरती जाएगी। विद्वान अधिवक्ता द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों की प्रतियां रिकॉर्ड पर ली जाती हैं।

10. प्रत्यर्थी सं.2/दि.वि.प्रा. के अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि अब क्षेत्र के मिश्रित उपयोग विकास के प्रयोजन के लिए खाका योजना की एक प्रति याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को प्रदान की गई है, याचिकाकर्ताओं को इसकी जांच करने और सामान्य सुविधाओं और सामान्य क्षेत्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है, लेकिन डीयूएसी (दिल्ली शहरी कला आयोग) द्वारा अनुमोदित योजनाओं के दायरे में।

11. चूंकि याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का तर्क है कि डीयूएसी द्वारा अनुमोदित खाका योजना दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करती है और वर्तमान याचिका में पहली बार इसका उल्लेख करने के अलावा, उक्त शिकायत को प्रत्यर्थी सं. 2/दि.वि.प्रा. के साथ आज तक नहीं उठाया गया है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को प्रत्यर्थी सं. 2/दि.वि.प्रा. को दिल्ली मास्टर प्लान

2021 में निर्धारित मानदंडों के बारे में बताने के लिए दो सप्ताह का समय देना उचित समझा जाता है और क्षेत्र के खाका योजना को अंतिम रूप देते समय इनका अनुपालन नहीं किया गया है। उक्त अभ्यावेदन पर दि.वि.प्रा. द्वारा विचार किया जाएगा तथा चार सप्ताह के भीतर अधिवक्ता के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को इसका उत्तर भेजा जाएगा।

12. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा व्यक्त की गई अंतिम चिंता, विकास समझौते के अनुसार, प्रत्यर्थी सं. 2/ दि.वि.प्रा. के कहने पर प्रत्यर्थी सं.3/विकासकर्ता द्वारा आनंद पर्वत पर स्थापित शरणार्थी शिविर में प्रदान की गई सुविधाओं की कमी के संबंध में है। उक्त चिंता को आसानी से दूर किया जा सकता है, यदि पांच प्रतिनिधियों को, जो कि बस्ती कॉलोनी में स्थायी निवासी हैं, निर्देशित किया जाए कि वे दिनांक 22.03.2014 को प्रातः 11 बजे प्रत्यर्थी सं. 2/दि.वि.प्रा. के नोडल अधिकारी श्री एस.के. जैन के साथ आनंद पर्वत स्थित शरणार्थी शिविर का दौरा करें। यदि कोई अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता है या कोई कमी बताई गई है, तो प्रत्यर्थी सं. 2/दि.वि.प्रा. और प्रत्यर्थी सं.3/विकासकर्ता, दिए गए सुझावों की जांच करेंगे और जहां तक संभव हो, उन्हें प्रदान करने का प्रयास करेंगे, ताकि शरणार्थी शिविर में स्थानांतरित परिवारों के ठहरने को यथासंभव आरामदायक बनाया जा सके।

13. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा दलीलों के दौरान किए गए निवेदन के मद्देनजर कि कठपुतली कॉलोनी में रहने वाले विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले याचिकाकर्ताओं और याचिकाकर्ता सं. 1/सोसायटी के सदस्यों द्वारा कॉलोनी के अन्य सभी निवासियों को प्रत्यर्थीगण के साथ सहयोग करने और ऊपर बताए अनुसार निरीक्षण किए जाने के बाद शरणार्थी शिविर में स्थानांतरित होने के लिए राजी करने में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, यह आशा और अपेक्षित है कि न केवल याचिकाकर्ता उपरोक्त आश्वासन का पालन करेंगे, बल्कि वे अन्य निवासियों को शरणार्थी शिविर में स्थानांतरित होने से रोकने या किसी भी तरह से बाधा डालने से भी परहेज करेंगे।

14. साथ ही, प्रत्यर्थी सं. 2/दि.वि.प्रा. के विद्वान अधिवक्ता ने अपने अधिकारी के निर्देश पर कहा कि आज तक, प्राधिकारियों द्वारा बस्ती कॉलोनी के किसी भी निवासी को शरणार्थी शिविर में स्थानांतरित करने के लिए या हटाने के लिए कोई बलपूर्वक उपाय नहीं किया गया है और प्रत्यर्थी सं. 2/दि.वि.प्रा. द्वारा कॉलोनी के निवासियों को स्वेच्छा से आनंद पर्वत में यथाशीघ्र स्थानांतरित करने के लिए राजी करने में सकारात्मक और सहायक भूमिका निभाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, क्योंकि प्रत्यर्थी सं. 3/विकासकर्ता द्वारा शरणार्थी शिविर की स्थापना में

बहुत अधिक निवेश किया गया है और बस्ती कॉलोनी को खाली करने में किसी भी प्रकार की और देरी के परिणामस्वरूप पूरी परियोजना ठप्प हो जाएगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि दि.वि.प्रा. द्वारा दिया गया यह आश्वासन कि वह कॉलोनी के निवासियों को शरणार्थी शिविर में स्थानांतरित करने में सहायक भूमिका निभाएगा, का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि यदि दि.वि.प्रा. को निरंतर प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है तो वह कॉलोनी के निवासियों को शरणार्थी शिविर में स्थानांतरित करने के लिए कानून में उपलब्ध उचित कदम उठाने से स्थायी रूप से वंचित हो जाएगा।

15. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि प्रत्यर्थी सं. 2/दि.वि.प्रा. बस्ती कॉलोनी के निवासियों को शरणार्थी शिविर में स्थानांतरित करने के लिए कोई कदम उठाता है, तो वह पूरी तरह से कानून के अनुसार होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बस्ती कॉलोनी के वे निवासी, जिन्होंने स्वेच्छा से शरणार्थी शिविर में जाने का निर्णय लिया है, वे किसी तीसरे पक्ष द्वारा बाधा डाले बिना ऐसा करेंगे तथा इस आदेश में जारी निर्देश कॉलोनी के अन्य निवासियों को यथाशीघ्र शरणार्थी शिविर में जाने से नहीं रोकेंगे।

16. याचिका का लंबित आवेदन के साथ निपटान किया जाता है। पक्षकारों को दस्ती की गई।

(हिमा कोहली)

मार्च 20, 2014 **न्यायाधीश**

आरकेबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्झेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*